



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092024-257188
CG-DL-E-14092024-257188

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 529]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 13, 2024/भाद्र 22, 1946

No. 529]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 13, 2024/BHADRA 22, 1946

इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 571(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र में निदेशक, संयुक्त निदेशक और उप निदेशक (अवैज्ञानिक और तकनीकी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, निदेशक, संयुक्त निदेशक और उप निदेशक (अवैज्ञानिक और तकनीकी) समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना.**— ये नियम, इन नियमों से उपबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति,-
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है की ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **आरंभिक गठन.-** ऐसे पदधारी जो इन नियमों के प्रवर्तन की तारीख पर नियमित आधार पर पूर्वोक्त पद धारण कर रहे हैं, इन नियमों के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और उक्त नियमों के प्रारंभ के पूर्व नियमित आधार पर उक्त पदों में उनके द्वारा की गई सेवाओं को अगले उच्चतर श्रेणी आदि में परीवीक्षता, ज्येष्ठता और प्रोन्नति के लिए पात्रता की उनकी अवधि का विनिश्चय करने के लिए गणना में लिया जायगा।
7. **भारत के किसी भाग में सेवा के लिए दायित्व.-** इन नियमों के अधीन नियुक्त अधिकारी भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए दायी होंगे।
8. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
9. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. निदेशक	*03 (2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100-215900/- रु.)।	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियाँ में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200/- रु.) में ऐसे संयुक्त निदेशक जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब की उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र - अध्यक्ष; 2. कार्मिक समूह का प्रधान, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र -सदस्य; 3. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से भिन्न मंत्रालय या विभाग से भारत सरकार का संयुक्त सचिव या समतुल्य -सदस्य। 	लागू नहीं होता।

<p>वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200/- रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् पाँच वर्ष की सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है, अर्थात् :-</p> <p>(i) आवश्यक अर्हताएं: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री।</p> <p>(ii) अनुभव: स्थापन या कार्मिक मामले या क्रय या वित्त मामलों में तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. संयुक्त निदेशक	*05 (2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200/- रु.)।	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700/- रु.) में ऐसे उप निदेशक जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब की उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700/- रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् पाँच वर्ष की सेवा की है; और</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र - अध्यक्ष; 2. कार्मिक समूह का प्रधान, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र - सदस्य; 3. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से भिन्न मंत्रालय या विभाग से भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समतुल्य - सदस्य। 	<p>लागू नहीं होता।</p>

<p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं, अर्थात् :-</p> <p>(i) आवश्यक अर्हताएँ: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री।</p> <p>(ii) अनुभव: स्थापन या कार्मिक मामले या क्रय या वित्त मामलों में तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. उप निदेशक	*09 (2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700/- रु.)।	चयन।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100/- रु.) में ऐसे अनुभाग अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब की उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500/- रु.) या समतुल्य में उस पद में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100/- रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्ष की सेवा की है; और</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कार्मिक समूह का प्रधान, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र - अध्यक्ष; 2. निदेशक या समतुल्य अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र -सदस्य; 3. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से भिन्न मंत्रालय या विभाग से भारत सरकार के निदेशक -सदस्य। <p>समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कार्मिक समूह का प्रधान, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र - अध्यक्ष; 2. निदेशक या समतुल्य अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र -सदस्य; 3. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से भिन्न मंत्रालय या विभाग से भारत सरकार के निदेशक -सदस्य। 	<p>लागू नहीं होता।</p>

<p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है, अर्थात् :-</p> <p>(i) आवश्यक अर्हताएँ: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री।</p> <p>(ii) अनुभव: स्थापन या कार्मिक मामले या क्रय या वित्त मामलों में चार वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--

[फा. सं. 3(01)/2020-कार्मि.]

डॉ. शुभाग्र चंद, उपमहानिदेशक (कार्मिक)

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(National Informatics Centre)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2024

G.S.R. 571(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of (Non-Scientific and Technical) Director, Joint Director and Deputy Director in the National Informatics Centre, Ministry of Electronics and Information Technology, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology, National Informatics Centre, Director, Joint Director and Deputy Director (Non-Scientific and Technical) Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**— These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**— The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Initial constitution.**— The incumbents holding the aforesaid posts on a regular basis on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed under these rules and the services rendered by them in the said posts on regular basis before the commencement of the said rules shall be taken into account for deciding their period of probation, seniority and eligibility for promotion to the next higher grade, etc.

7. **Liability for service in any part of India.**— Officers appointed under these rules shall be liable to serve anywhere in India.

8. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Director.	*03 (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level-13 in the pay matrix (Rs.123100-215900).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion, failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Joint Director in level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200) with five years of regular service in the grade.</p> <p>Note : Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,—</p> <p>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-12</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director General, National Informatics Centre - Chairman; 2. Head of Personnel Group, National Informatics Centre - Member; 3. Joint Secretary to the Government of India or equivalent from a Ministry or Department other than National Informatics Centre - Member. 	Not applicable.

<p>in the pay matrix (Rs.78800-209200) or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:—</p> <p>(i) Essential qualifications: Bachelor's degree from a recognised University or institute.</p> <p>(ii) Experience: Three years experience in establishment or personnel matters or purchase or finance matters.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Joint Director	*05 (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200).	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion, failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion :</p> <p>Deputy Director in level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700) with five years of regular service in the grade.</p> <p>Note : Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director General, National Informatics Centre - Chairman; 2. Head of Personnel Group, National Informatics Centre - Member; 3. Joint Secretary to the Government of India or equivalent from a Ministry or Department other than National Informatics Centre - Member. 	Not applicable.

have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation:

Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,—

(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700) or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:—

(i) Essential qualifications: Bachelor's degree from a recognised University or institute.

(ii) Experience: Three years experience in establishment or personnel matters or purchase or finance matters.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Deputy Director	*09 (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700).	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion, failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion:</p> <p>Section Officer in level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) with eight years of regular service in the grade.</p> <p>Note : Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation:</p> <p>Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,—</p> <p>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years of regular service in posts in level – 10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) or equivalent; or</p> <p>(ii) with eight years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:—</p> <p>(i) Essential qualifications: Bachelor's degree from a recognised University or institute.</p> <p>(ii) Experience: Four years experience in establishment or personnel matters or purchase or finance matters etc.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Head of Personnel Group, National Informatics Centre - Chairman; 2. Director or equivalent officer, National Informatics Centre - Member; 3. Director to the Government of India from a Ministry or Department other than National Informatics Centre - Member. <p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Head of Personnel Group, National Informatics Centre - Chairman; 2. Director or equivalent officer, National Informatics Centre - Member; 3. Director to the Government of India from a Ministry or Department other than National Informatics Centre - Member. 	<p>Not applicable.</p>

<p>consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--

[F. No. 3(01)/2020-Pers.]

Dr. SHUBHAG CHAND, Dy. Director General (Pers.)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092024-257182
CG-DL-E-14092024-257182

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 528]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 13, 2024/भाद्र 22, 1946

No. 528]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 13, 2024/BHADRA 22, 1946

इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 570(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, सहायक निदेशक (राजभाषा) समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. सेवा के लिए दायित्व.- इन नियमों के अधीन नियुक्त अधिकारी भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए दायी होंगे।

5. निरर्हता.- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है की ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. आरंभिक गठन.- ऐसे पदधारी जो इन नियमों के प्रवर्तन के पूर्व नियमित आधार पर पूर्वोक्त पद धारण कर रहे हैं, इन नियमों के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और उक्त नियमों के प्रारंभ के पूर्व नियमित आधार पर उक्त पदों में उनके द्वारा की गई सेवाओं को अगले उच्चतर श्रेणी आदि में परीवीक्षता, ज्येष्ठता और प्रोन्नति के लिए पात्रता की उनकी अवधि का विनिश्चय करने के लिए गणना में लिया जायगा।

7. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक निदेशक (राजभाषा)	*01 (2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु)।	चयन।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(6)	(7)
35 वर्ष की आयु से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है।)	आवश्यक: (क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री; या (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; या

टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

- (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में हिन्दी माध्यम के साथ मास्टर डिग्री; या
- (iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ, हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम के साथ मास्टर डिग्री; या
- (v) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी या इन दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो, के साथ हिन्दी और अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री; और

अनुभव:

(ख) (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या स्वशासी निकाय या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन हिन्दी में शब्दावली उपयोग/लागू करना (शब्दावलीयों कार्य) और अंग्रेजी से हिन्दी या इसके विपर्यय, वरीय रूप से तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य में अनुवाद का तीन वर्ष का अनुभव; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वशासी निकाय या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन हिन्दी और अंग्रेजी में अध्यापन या हिन्दी या अंग्रेजी में अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है की उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

वांछनीय:

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं स्तर पर हिन्दी से भिन्न, संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित किसी एक भाषा का अध्ययन किया हो।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण: परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्ररिक्षण अनिवार्य होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियाँ में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400/- रु.) में ऐसे ज्येष्ठ अनुवादक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है और समय-समय पर संगठन द्वारा निर्धारित प्रासंगिक क्षेत्र में एक सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब की उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कार्मिक समूह का प्रधान, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र - अध्यक्ष; 2. निदेशक या संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र -सदस्य; 3. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से भिन्न मंत्रालय या विभाग या संगठन से भारत सरकार का निदेशक या उपसचिव या समतुल्य -सदस्य। 	लागू नहीं होता।

<p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400/- रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उक्त पद पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष की सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिनमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कार्मिक समूह का प्रधान, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र - अध्यक्ष; 2. निदेशक या संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र - सदस्य; 3. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से भिन्न मंत्रालय या विभाग या संगठन से भारत सरकार का निदेशक या उपसचिव या समतुल्य - सदस्य। 	
---	---	--

[फा. सं. 3(01)/2020-कार्मिक.]

डॉ. शुभांग चंद, उपमहानिदेशक (कार्मिक)

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(National Informatics Centre)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2024

G.S.R. 570(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Assistant Director (Official Language) in the National Informatics Centre, Ministry of Electronics and Information Technology, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology, National Informatics Centre, Assistant Director (Official Language) Group ‘A’ Post Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** — The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Liability for service.** — Officers appointed under these rules shall be liable to serve anywhere in India.

5. **Disqualification.**— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Initial Constitution.**— The incumbents holding the aforesaid post on a regular basis prior to the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed under these rules and the services rendered by them in the said post on regular basis before the commencement of the said rules shall be taken into account for deciding their period of probation, seniority and eligibility for promotion to the next higher grade, e.t.c.

7. **Power to relax.** — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.** — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Director (Official Language).	*01 (2024) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘A’, Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500).	Selection

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not exceeding thirty-five years of age. (Relaxable for the Government servants in accordance with the	Essential: (a) (i) Master’s degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or

<p>instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.</p>	<p>(ii) Master's degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or</p> <p>(iii) Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or</p> <p>(iv) Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level; or</p> <p>(v) Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level; and</p> <p>Experience:</p> <p>(b) (i) three years' experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organisations or public sector undertakings or Universities or recognised research institutions; or</p> <p>(ii) three years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under the Central Government or State Governments or Union territory Administration or autonomous body or statutory organisations or public sector undertakings or University or recognised research institutions.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> <p>Desirable:</p> <p>Studied one of the languages, other than Hindi, included in the Eighth Schedule to the Constitution at 10th standard from a recognised Board.</p>
---	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	<p>Two years.</p> <p>Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as specified by the Central Government.</p>	By promotion, failing which by deputation, failing both by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion:</p> <p>Senior Translator in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with three years of regular service in the grade and having successfully completed one weeks training in relevant area as prescribed by the organisation from time to time.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation:</p> <p>Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with three years service rendered after appointment to the said post on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Head of Personnel Group, National Informatics Centre – Chairperson; 2. Director or Joint Director, National Informatics Centre –Member; 3. Director or Deputy Secretary or equivalent to the Government of India from Ministry or Department or Organisation other than the National Informatics Centre. –Member. <p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Head of Personnel Group, National Informatics Centre –Chairperson; 2. Director or Joint Director, National Informatics Centre –Member; 3. Director or Deputy Secretary or equivalent to the Government of India from Ministry or Department or Organisation other than the National Informatics Centre. –Member. 	<p>Not applicable.</p>

<p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--

[F. No. 3(01)/2020-Pers.]

Dr. SHUBHAG CHAND, Dy. Director General (Pers.)